मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मई, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 28 अप्रैल, 1994 (वैशाख 8, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री बी.आर. यादव, वन मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री चन्द्रप्रकाश बाजपेयी, सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ के एक अधिकारी द्वारा संघ को हानि पहुंचने वाली कार्यवाहियां की जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (सहकारिता) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री गोपीकृष्ण नेमा, श्री भंवर सिंह शेखावत, कुंवर विजय शाह, सदस्य, राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा महंगे दामों पर सामग्री क्रय करने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, डॉ सीतासरन शर्मा, श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, गुना जिले के बीनागंज क्षेत्र में डकैती होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री कमल पटेल, रघुनंदन शर्मा, सदस्य, हरदा तहसील एवं राजगढ़ जिले के अनेक ग्रामों में गुजरात तथा राजस्थान की भेड़ों के घुस जाने से फसलों को हो रही क्षति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री हुकुमसिंह कराड़ा, सदस्य, शाजापुर जिले के मोमन बड़ोदिया के विकास खण्ड अधिकारी द्वारा एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ बलात्कार करने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, कोरबा की बाल्को एल्यूमीनियम कम्पनी से बड़े पैमाने पर एल्यूमीनियम की चोरी होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, रायगढ़ जिले के ग्राम लकुआकोना में दूषित पेयजल से कई लोगों की हुई मृत्यु की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य, सीधी जिले के तरई थाना प्रभारी द्वारा आदिवासियों से वृक्षों की अवैध कटाई करवाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, मुरैना जिले के अनेक ग्रामों में गन्ने की फसलों में "पायरला" कीट का प्रकोप होने की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री लल्लू सिंह, सदस्य, शहडोल में केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा खनित नलकूपों का राज्य शासन द्वारा उपयोग न करने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम उडला पंडवन में दो अपहृत बालकों की हत्या करने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, रायपुर जिले के टाटीबंध निवासी एक छः वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.